कुरौली - 36/20
G.R- 255/20

04.07.20 दिनांक 30.06.20 से काराबाजित अभियुक्त ① विनोद मलिक ② ललन मलिक की ओर से जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह का अभिकथन है कि प्रार्थी शांति प्रिय वो कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है। प्रस्तुत वाद में प्रार्थी अभियुक्त को गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त को विनोद मलिक के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। जबकि कुरौली थाना कांड सं० 50/20 में स्वीकारोक्ति

बयान विनोद मलिक का दिया गया है जबकि प्रार्थी अभियुक्त विनोद मलिक द्वारा किसी प्रकार का स्वीकारोक्ति बयान नहीं दिये गए थे। प्रस्तुत वाद में वर्णित घटना प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारित नहीं किया गया है और न ही उक्त घटना में प्रार्थी अभियुक्त संलिप्त थे। अतः अभियुक्तगण को उचित जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

जमानत के बिंदु पर उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद धारा 380, 457 भा.द.वि के अंतर्गत दर्ज किया गया है। केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी की कंडिका 49, 50, 51, 52, 53, में घटना कारित करने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। उपरोक्त कंडिका के साक्षीगण प्राथमिकी के घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया है धारा 380, 457 भा.द.वि अजमानतीय प्रकृति का है अभियुक्तगण कुओली थाना केस सं० 49/20 और कुओली थाना केस सं० 50/20 में भी संलिप्तता पाई गई है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः कारावासित अभियुक्तों की तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लें०

न्या० दं०